राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांक:- एफ 139(26)परावि/विधि/पट्टा/सामान्य /02/ 3297 जयपुर 19-7-06
दिनांक-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषय— ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों के क्रम मे ।

ग्राम पंचायत द्वारा उनमे विहित आबादी क्षेत्रो की भूमि के पट्टे राजस्थान पंचायत राज (सामान्य)नियम 1996 के नियम 162 एव 167 के प्रतिकूल संस्थाओं और समुदायों को निशुल्क आवंटित कर दिये जाते हैं जिससे इन क्षेत्रों मे शांति व्यवस्था भंग होने की आशका रहती है । पंचायती राज नियम 1996 के नियम 162 के तहत केवल राजकीय संस्थाओ को ही 500 वर्ग गज तक भूमि निशुल्क दी जा सकती है । नियम 167 के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी भूमि के विक्रय का अनुमोदन करने की प्रकिया का उल्लेख है । किसी भी समाज एवं गैर सरकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नही है । यदि इस प्रकार से किसी गैर सरकारी संस्थाओं या समुदाय को पंचायत की आबादी भूमि आवंटित की जाती है तो वह प्रारम्भत: शून्य मानी जावेगी । इस प्रकार संस्था अथवा समुदाय को अनियमित रूप से प्राप्त पट्टों को मान्यता नही दी जानी चाहिये ।

अत: सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गण को निर्देशित किया जाता है कि नियमों के विरूद्ध इस प्रकार से गैर सरकारी संस्था एवं समाज को भूमि आवंटित की गई हो तो उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने हेतु राज्य सरकार को मामला प्रेषित किया जावे । इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी गैर सरकारी संस्था अथवा समाज को नियम के विरूद्ध तथा बिना पूर्ण प्रकिया अपनाये पट्टे जारी नही किये जावे । यदि इस प्रकार नियमों की पालना किये बिना एव नियमों के विरूद्ध पट्टे जारी किये जाते हैं तो ऐसी भूमि के पट्टे जिसके द्वारा जारी किये गये हैं, उससे प्रचलित बाजार दर से दुगुनी कीमत मय ब्याज के वसूल करने के साथ साथ विभागीय कार्यवाही भी अमल मे लाई जावेगी ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

कार्यालय जिला परिषद - भरतपुर
क्र0/P.E.O.106/1730-38 दिनांक 1-8-2006
प्रतिलिपि समस्त विकास अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय परिपत्र प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा कर पालना रिपोर्ट अन्दर एक सप्ताह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, भरतपुर

C:\Documents and Settings\...\My Documents\PA letter.doc 30